

प्रमाण.

जिला बौतिक शिक्षा अधिकारी,
मुरादाबाद।

देवा ३.

(5) प्रबन्धक,

स्वतंत्र प्रिंसिपल - आई.सी. पाठशाला

खुशहारपुरा - सिंगवण्ड टर्नोरा (मुरादाबाद)

पत्रांक: शिक्षा 0/मान्यता/34-50 /1991-92 दिनांक: 19 अप्रैल, 1991

विषय:- विद्यालय को आई.सी. स्तर कक्षा-1 से 5 तक की स्थायी मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

=====

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र के संदर्भ में जिला बौतिक शिक्षा मान्यता समिति ने जॉय अधीकारों की संतुष्टि के आधार पर अपनी बैठक दिनांक 30-3-91 में निर्णय लिया है कि आपके विद्यालय को आई.सी. स्तर कक्षा-1 से 5 तक की स्थायी मान्यता, इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से प्रदान कर दी जाय। विभागीय आदेशों की अवहेलना तथा विद्यालय में अवैधानिक कक्षाएँ संचालन होने की दशा में यह स्थायी मान्यता निरस्त की जा सकती है।

भावदीय

जिला बौतिक शिक्षा अधिकारी,
मुरादाबाद।

पुस्तक: शिक्षा 0/मान्यता/

/1991-92 दिनांक: उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को तृणार्थ स्व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बौतिक, आदेश मण्डल, मुरादाबाद।
- 2- शिक्षा अधीकार, नगर क्षेत्र - - - - -
- 3- उप विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद।

जिला बौतिक शिक्षा अधिकारी,
मुरादाबाद।

Sr. Home
Principal

St. Pius' School

Bachhraon, Amroha, U.P.

fo. Bant
Manager

St. Pius' School

Bachhraon, Amroha, U.P.

प्रकाशक,

मण्डलीय मध्यम शिक्षा निदेशक (वेत्तिक),
दादरा मण्डल, मुरादाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य

संत-पियुस-जुआनो-स्कूल, गिम्प, नगर, लखरा, मुरादाबाद।

2-कुम्हार-गव्हिलक-स्कूल, पञ्जाब रोड, अमरोहा।

पत्रांक: शि०म०/मान्यता/792-99 /1996-97 दिनांक: 31/12/96

विभाग:- असाक्षीय उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) की श्रेणी की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आज्ञापनादेश संख्या: 217/15-6-92/97/09 दिनांक 11-5-92 में किये गये प्रा. विद्यालयों के अन्तर्गत मण्डलीय स्तर पर गठित मान्यता समिति के निर्णयानुसार आपके विद्यालय को कक्षा 6 से 8 तक की श्रेणी की मान्यता आदेश निगमित होने की तिथि से प्रदान की जाती है। प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ष की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

आज्ञापनादेश में निहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नलिखित शिक्षक शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के पद अनुमत्या होंगे :-

प्रधानाध्यापक- एक
सहायक अध्यापक- चार
लिपिक- एक

चतुर्थश्रेणी कर्मचारी- एक

उक्त जनशक्ति में त्रिभाषी/प्रसार ग्राफट अध्यापक सम्मिलित माने जायेंगे। आसक्षीय/विभागीय आदेशों का पालन न करने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकार उत्तर प्रदेश वेत्तिक शिक्षा परिषद को होगा।
भवदीय

~~सूचनावतार वि०नो०~~

मण्डलीय मध्यम शिक्षा निदेशक (वेत्तिक),
दादरा मण्डल, मुरादाबाद।

सू०म०: शि०म०/मान्यता/ /1996-97 दिनांक: उक्तवत्।

यु. त. लिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-अपर शिक्षा निदेशक (वेत्तिक), शिक्षा निदेशकालय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2-गव्हिल, वेत्तिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
- 3-जिला वेत्तिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद।
- 4-देवाशिक्षाधिकारी, कामगल्प जिला वेत्तिक शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद।
- 5-जिला अग्रज कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद।
- 6-उप-विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद।
- 7-कामगल्प, गाई पत्रावली हेतु।

Se Hane
Principal
St. Pius' School
Bachhraon, Amroha, U.P.

मण्डलीय मध्यम शिक्षा निदेशक
(वेत्तिक),
दादरा मण्डल, मुरादाबाद।
Manager
Manager
St. Pius' School
Bachhraon, Amroha, U.P.